उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 474709

नियमावली

1. यह कि मुबलिग 5000/– रूपया जो कि सदस्यों के द्वारा दान में दिया गया है, के साथ भविष्य में समय–समय पर दान, उपहार, अन्तरण, अनुदान, सहयोग आदि के रूप ट्रस्ट प्राप्त होने वाली समस्त सम्पत्ति व उससे प्राप्त आय आदि समस्त सम्पदा "ट्रस्ट फण्ड" व ट्रस्ट की सम्पत्ति मानी जायेगी।

2. यह कि उपरोल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त ट्रस्ट फण्ड को बैंक, पोस्ट ऑफिस, व्यवसायिक फर्म, राजकीय प्रतिभूति, बाण्ड, ऋण पत्र व कम्पनी के शेयरों आदि में जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे, समय–समय पर निवेश किया जा सकेगा।

3. यह कि ट्रस्ट अपेन फण्ड के धन को सम्पत्तियों को खरीदने पट्टा लेने आदि में ट्रस्टियों के द्वारा समय–समय पर जहाँ उचित समझा जाय, किसी अन्य लाभदायक कार्य में निवेशित किया जा सकेगा।

यह कि ट्रस्ट सम्पत्ति के आय का अद्यतन लेखा जोखा लिखित रूप में रखा जायेगा जिसका आडिट प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट के द्वारा कराया जायेगा।

3– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण

5.1– मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।

Scanned with CamScanner